राजस्थान सरकार

तकनीकी शिक्षा विभाग

जयपुर, दिनांक : 17 जनवरी, 2008

क्रमांक : प. 1(23)त.शि./2007

निदेशक (शिक्षा),
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
जोधपुर।

विषय :- राजकीय पॉलिटेक्नीक महाविद्यालयों की भूमि निजी क्षेत्र को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि माननीया मुख्यमंत्री महोदया की बजट घोषणा 2007-08 में राजकीय शैक्षणिक संस्थानों में कम्प्यूटर कैफे, ट्रेनिंग व कोचिंग इत्यादि की सुविधा विकसित करने के लिए शिक्षण संस्थानों की भूमि निजी अथवा NGO को उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। उक्त घोषणा के क्रियान्वयन के संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्नीक महाविद्यालयों की भूमि उपलब्ध करवाये जाने के लिए एक योजना तैयार की गई है। योजना की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश अविलम्ब समस्त संस्थानों को प्रेषित करे एवं नीति की प्रति एवं आप द्वारा दिये गये निर्देशों की प्रति निदेशालय की वेबसाईट पर भी प्रकाशित करावे।

भवदीय,

(आर.के.गुप्ता)
विशेषाधिकारी,त.शि.

E-mail: osd_te@yahoo.co.in

Room No.1243 Secretarite, Jaipur Tele-0141-2227498